संख्या-३/५३१/पचास-यु0क0-२०१४-५१(विविध/२०१३

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/ विकास दल एवं
युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग: लखनऊ: दिनांक:-०७ अप्रैल, २०१४

विषय:-वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिए आयोजनेतर पक्ष (क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों के वेतनादि तथा अन्य व्ययों हेतु) की वित्तीय स्वीकृतियां।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-१०/दो-४२/प्रा0वि0द0/२०१३, दिनांक ०४ अप्रैल, २०१४ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण विभाग हेतु वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के आय-व्ययक अनुदान सं0-१४ के अधीन लेखाशीर्षक-"२०७०-अन्य प्रशासनिक सेवाऐं-आयोजनेतर-८००-अन्य व्यय-०६-युवा कल्याण (क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी) सम्बन्धी अधिष्ठान" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, २०१४) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के अनुसार रूपये ५,८८,९६,०००/- (रूपये पाँच करोड़ अठ्ठासी लाख छियानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित मदों पर व्यय के लिए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

कोड सं0	मानक मद का नाम	वर्ष २०१४-१५ हेतु व्यय अनुमान	लेखानुदान के अनुसार ०४ माह हेतु आकलित धनराशि	लेखानुदान के अनुसार स्वीकृत धनराशि (पूर्णाकों में)
०१	वेतन	८२०००	२७३३३.३३	२७३३३
०३	महंगाई भत्ता	८६१००	२८७००.००	२८७००
०४	यात्रा व्यय	५०	१६.६७	१७
०५	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	२०	६.६७	६
०६	अन्य भत्ते	८०००	२६६६.६७	२६६७
४५	अवकाश यात्रा व्यय	२०	६.६७	६
४९	चिकित्सा व्यय	५००	१६६.६७	१६७
	योग--	१७६६९०	५८८९६.६७	५८८९६

(रूपये पाँच करोड़ अठ्ठासी लाख छियानबे हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

२- उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि व्यय प्रतिनिहित अधिकारों की सीमा के अधीन किया जाएगा तथा जहां कहीं भी व्यय हेतु शासन/अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यक्ता हो, उसे यथासमय प्राप्त कर लिया जाय। व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१ से निर्गत कार्यालय-ज्ञाप सं0-बी-१-७९५/दस-२०१४-२३१/२०१४, दिनांक १४ मार्च, २०१४ में दिए गए निर्देशों आदि का पालन भी सुनिश्चित किया जाय।

३- शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सनिश्चित किया जाय।

४- जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा।

५- उक्त पर होने वाला चालू वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-१४ के अधीन आयोजनेत्तर लेखाशीर्ष-"२०७०-अन्य प्रशासनिक सेवाऐं-८००-अन्य व्यय-०६-युवा कल्याण (क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी) सम्बन्धी अधिष्ठान" के अधीन सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जाएगा।

भवदीय,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या-५३१(१)/पचास-यु0क0-२०१४-५१(विविध)/२०१३ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद,
२. प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद,
३. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
४. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-२
५. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१
६. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in